न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी- 3587/2018/गुना/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक :   / 2018 निगरानी

श्री पूर्णिमा निगम
द्वारा आज दि. 12-6-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-7-18 नियत।

12-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. धन्नालाल पुत्र श्री करन सिहजाति मीना निवासी ग्राम बर्रया तहसील राघौगढ जिला गुना
2. नरेन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति मीना, निवासी ग्राम बर्रया तहसील राघौगढ जिला गुना .... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. संतोष पुत्र चिरौजीलाल जाति डीमर
2. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री चिरौजीलाल पत्नी नारायण सिह
3. श्रीमती सुमित्रा बाई वेवा चिरौजीलाल निवासीगण ग्राम बर्रया तहसील राघौगढ जिला गुना

.... रेस्पोडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 10.05.2018 पारित न्यायालय तहसील राघौगढ के प्रकरण कमांक 5अ 70/2017-18 व उन्वान संतोष आदि बनाम धन्नालाल आदि से व्यथित होकर।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3587/2018/गुना/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुततर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय राधौगढ के आदेश दिनांक 10-5-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से अवैध कब्जा नहीं छोड़ने के कारण तहसीलदार द्वारा उनके विरूद्ध सिविल कारागार हेतु जेल वारंट जारी करने के आदेश दिये गये हैं । संहिता की धारा 250(ए) में जेल वारंट जारी करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को है, तहसीलदार को नहीं । स्पष्टत: तहसीलदार ने अधिकारविहीन आदेश जारी किया है । अत: तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाता है । निगरानी ग्राह्य कर स्वीकार की जाती है । अध्यक्ष	